श्री विवेक कुमार, श्री शिव प्रताप सिंह, मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटी प्रा0 लि0, मेसर्स निकेश कुमार कंस्ट्रक्शंस, श्री रणवीर प्रताप सिंह, श्री अजय सिंह, श्री सत्यानन्द राय, मेसर्स एस.जी. प्रोजेक्ट्स लि0 द्वारा भोजपुर जिला, अंचल– संदेश एवं अगिआंव के सोन नदी पर सोन घाट–36,सोन घाट–37,सोन घाट–38,सोन घाट–39,सोन घाट–40,सोन घाट–41,सोन घाट–42,सोन घाट–43 एवंसोन घाट–44 से बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांकः 29.09.2020 को संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–SIA/1(a)/1146/2020, दिनांक 24.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1447/2020, दिनांक 24.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1065/2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1066/2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/ 1068 /2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1116/20, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या–SIA/1(a)/1004/2020, दिनांक 21.07.2020 एवं पत्र संख्या–SIA/1(a)/1117/2020, दिनांक 22.07.2020 के आलोक में श्री कुमार मंगलम, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), भोजपुर (जिलाधिकारी भोजपुर द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांकः 29.09.2020 को संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर एवं आज के माध्यम से दिनांकः 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति जन समुदाय एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला।

लोक सुनवाई कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), भोजपुर के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट इन्भायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। ध्यान रखा जायेगा कि गीली बालू का परिवहन हो अथवा तिरपाल से ढ़क कर बालू का परिवहन हो ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य इस प्रकार हैं:–

1. श्री विजय कुमार, पिता–स्व0 बजरंगी सिंह, ग्राम–फुलाड़ी, जिला–भोजपुर द्वारा पूछा गया कि कुछ घाट गाँव से दूर है। वहां श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ? ट्रक के परिचालन से धूल उड़ता है इसके लिए क्या किया जायेगा तथा पीने का पानी के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ?

   इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना स्थल पर श्रमिकों के लिए अस्थायी विश्राम एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा स्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। कर्मियों के लिए स्वच्छता सुविधा यानी सेप्टिक टैंक या सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलबध कराई जाएगी। बालू परिवहन के दौरान वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले धूल–कण को रोकने के लिए सड़क पर दिन में कम से कम दो बार जल छिड़काव किया जायेगा। तिरपाल से ढ़क कर ही वाहनों का परिचालन किया जायेगा तथा सड़क के दोनो किनारे पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

2. श्री ददन सिंह, पिता–श्री भागवत सिंह, ग्राम–चांदी, जिला– भोजपुर द्वारा परियोजना का स्वागत किया गया।

3. श्री हरि नारायण सिंह, पिता–श्री जयमाल सिंह, ग्राम–पवनपुरा, जिला– भोजपुर द्वारा परियोजना का स्वागत किया गया।

4. श्री अभय कुमार सिंह, पिता– श्री जनार्दन सिंह, ग्राम–भीमपुरा, जिला– भोजपुर द्वारा परियोजना का स्वागत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु विस्तृत रूप से परियोजना के सलाहकार द्वारा जानकारी दी गयी। लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी कार्य करेंगे। वर्तमान में अभी कोवीड–19 प्रभाव चल रहा है जब तक इस वैश्वीक महामारी का कोई वैक्सीन या दवा नही निकलता है तब तक सभी लोगों को इसके बचाव के लिए सैनिटाइजर एवं माक्स का उपयोग करना अनिवार्य है। आप लोग इसके बचाव हेतु सैनिटाइजर/मास्क का उपयोग करते हुए कोई भी कार्य करेंगे ताकि वैश्वीक महामारी से बचाव कर सके।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के खनन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मनोरंजन कुमार सिंह) **सहायक वैज्ञानिक पदा0** **बि0रा0प्र0नि0पर्षद्, पटना**	(सैन कुमार) **सहायक पर्या0 अभि0** **बि0रा0प्र0नि0पर्षद्, पटना**	(कुमार मंगलम) **अपर समाहर्त्ता (राजस्व),** **भोजपुर**

<u>उपस्थिति सूची</u>

श्री विवेक कुमार, श्री शिव प्रताप सिंह, मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटी प्रा० लि०, मेसर्स निकेश कुमार कंस्ट्रक्शंस, श्री रणवीर प्रताप सिंह, श्री अजय सिंह, श्री सत्यानन्द राय, मेसर्स एस.जी. प्रोजेक्ट्स लि० द्वारा भोजपुर जिला, अंचल- संदेश एवं अगिआंव के सोन नदी पर सोन घाट- 36, सोन घाट- 37, सोन घाट- 38, सोन घाट- 39, सोन घाट- 40, सोन घाट- 41, सोन घाट- 42, सोन घाट- 43 एवं सोन घाट- 44 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 29.09.2020 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कुमार मंगलम्	अपर समाहर्त्ता, भोजपुर	[signature] 29/09/2020
2.	प्रमोद कुमार	सहायक निदेशक खनन भोजपुर	[signature] 29/9/20
3.	[illegible] कुमार (स०प०[illegible])	बि०रा०प्र०नि०प०[illegible]	[signature] 29/9/20
4.			
5.	[illegible] सिंह	ग्राम+पो०- [illegible] थाना- [illegible] भोजपुर	Dablu Singh
6.	[illegible] सिंह	[illegible] पंच [illegible] भोजपुर	[signature]
7.	अमीत कुमार सिंह	ग्राम+पो०- सकड्डी	Amit [illegible]
8.	दुर्गेश मिश्र	ग्राम बहियारा पो० [illegible] थाना कोइलवर जिला भोजपुर	[signature]
9.	पियुष कुमार	ग्राम- जमालपुर थाना- कोइलवर भोजपुर	Piyus Kumar
10.	विजय सिंह	ग्राम- फुलाड़ी	[signature]
11.	दलन सिंह	ग्राम [illegible]	Dalan Singh
12.	हरिनारायण [illegible]	[illegible]	
13.	[illegible] सिंह	[illegible]	
14.	दिलीप कुमार	[illegible]	
15.	रंजीत कुमार	[illegible]	Ranjit Kumar
16.	Ravi Ranjan	KORI	Ravi Ranjan

17.	अमलेश कुमार	जगन्नाथपुरा	अमलेश कुमार
18.	काशीनाथ राम	बागा, भीमपुरा	काशीनाथ राम
19.	जीतेन्द्र कुमार	संदैवा	जीतेन्द्र कुमार
20.	सुमंत कुमार	अगिआँव	Sumant K.
21.	राजेश रंजन सिंह	लसाढ़ी	Rajesh Kr.
22.	भिम यादव	लसाढ़ी	भिम यादव
23.	प्रमोद ठाकुर	बसरखा हुट	प्रमोद ठाकुर
24.	संजय कुमार सिंह	लोदीपुर	संजय कुमार
25.	राहुल कुमार	नरसापुर	राहुल कुमार
26.	रवि कुमार	मसिरदपुर	रवि कुमार
27.	सर्वेश कुमार	संदैवा	सर्वेश कुमार
28.	अवनीश कुमार	ग्राम पो० आल्यारी सहार भोजपुर	Avanish
29.	दिलीप कुमार	बागा	[illegible]
30.	राजकुमार सिंह	भिमपुरा	राजकुमार सिंह
31.	Ajay Singh	Bhimpura	Singh
32.	मो० शाहिद आलम	EIA Consultant	[illegible]
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			